झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक— 4—157(NREGA)/08/ग्रा0वि0— 8295 (अनु0) राँची/ दिनांक— 23.11.09

प्रेषक,

शिव बसंत,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव।

सभी उपायुक्त—सह—जिला कार्यक्रम समन्वयक।

विषय— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत अनुमान्य अन्य विभागीय योजना कार्यान्वित करने के संबंध में।

प्रसंग — योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक— 1146, दिनांक— 03.10.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की ओर आपका आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा 2010—11 की विभागीय योजना तैयार करने एवं NREGA के साथ Convergence हेतु मार्ग दर्शन दिये गये हैं।

NREGA 2005 के अनुसूची I की धारा 1 के अनुसार NREGS अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ अनुमान्य है —

(क) जल संरक्षण एवं जल संग्रहण

(ख) सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण

(ग) सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु संचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक (एक से दो हेक्टेयर जोत स्वामित्व वाले कृषक) या सीमांत कृषकों (एक हेक्टेयर तक जोत स्वामित्व वाले कृषक) का स्वामित्वधीन भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान एवं भूमि सुधार प्रसुविधा योजनाएँ

(ङ0) परम्परागत जल श्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी

(च) भूमि विकास

(छ) बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ जिसमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है

(ज) गाँवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाव ताकि सभी गाँवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके। सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई

D:\...\SK SATAPATHY\File No. -4-157(NREGA)-08.doc

(49)

जा सकती और गाँव के भीतर सड़कों के साथ– साथ नालियाँ भी बनाई जा सकती किन्तु PCC पथ (सिमेंट– क्रंकीट पथ) नहीं बनायी जा सकती।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन में निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है –

(i) NREGS अन्तर्गत ली जानेवाली योजनाएँ ग्राम सभा एवं अन्य सक्षम स्तर से अनुमोदित हो तथा जिले के Shelf of Projects अन्तर्गत शामिल हो।

(ii) NREGS अन्तर्गत अनुमान्य योजनाएँ निबंधित एवं जॉबकार्ड प्राप्त श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी।

(iii) योजना के कार्यान्वयन में कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रम व्यय सहित सामग्री मद में व्यय कुल व्यय के 60% से अधिक नहीं होगा।

(iv) योजनान्तर्गत मशीन एवं ठीकेदार का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

(v) श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान बैंक / डाकघर खाते के माध्यम से किया जाएगा।

(vi) कार्य एजेंसी / Line Department संबंधित मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से मस्टर रॉल एवं अन्य अपेक्षित प्रपत्र / पंजी प्राप्त कर ससमय उसकी MIS प्रविष्टि एवं संधारण सुनिश्चित करेंगे।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों / मार्गदर्शन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

वन एवं पर्यावरण विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग (भूमि संरक्षण एवं वानिकी), मत्स्य पालन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अधिकांश योजनाएँ NREGS अन्तर्गत अनुमान्य है। इन विभागों के NREGS अन्तर्गत अनुमान्य याजनाओं के कार्यान्वयन हेतु NREGA निधि का सदुपयोग किया जा सकता है और राज्य बजट पर इतनी राशि का व्यय भार कम किया जा सकता है।

विदित हो कि नरेगा Demand driven योजना है एवं आवश्यकता के अनुसार अधिनियम के Schedule - I की धारा 1 में अंकित किसी भी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकता है, जिसके लिए 90% राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। ऐसी स्थिति में नरेगा के तहत Permissible योजना का कार्यान्वयन राज्य बजट की राशि से अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वयन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बल्कि वैसी योजनाओं का चयन संबंधित विभागों द्वारा करने के उपरांत उसे नरेगा के तहत बनायी जा रही जिले की वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर कार्यान्वयन कराया जा सकता है। इससे न केवल राज्य योजना की राशि का Optimal Utilization हो पायेगा बल्कि इससे अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन जो नरेगा के तहत Permissible नहीं है, के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :-

I कार्य एजेन्सी / Line Department अपने वार्षिक कार्य योजना में से नरेगा के अन्तर्गत अनुमान्य कार्यों को ग्राम सभा एवं अन्य सक्षम स्तरों के समक्ष नरेगा के Shelf of Project में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित करेंगे।

II जिन कार्यों का समावेश नरेगा के अनुशंसित Shelf of Project में हो जाता है उनको छोड़कर ही शेष कार्यों के लिए अपने विभागीय बजट में राशि का प्रावधान करेंगे।

III संबंधित विभाग संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग एवं संबंधित उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

IV नरेगा के Shelf of Project में शामिल करने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक का यह दायित्व होगा कि Convergance के तहत विभिन्न विभागों / कार्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित समेकित प्रतिवेदन कार्य एजेंसीवार नियमित रूप से प्रत्येक माह ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

V प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग तथा प्रधान सचिव, वित्त विभाग सभी विभागों की योजना मद में बजट प्रावधान की समीक्षा करते समय सुनिश्चित करेंगे कि नरेगा के तहत अनुमान्य योजनाओं के लिए राशि प्रावधानित करते समय उपर्युक्त निदेशों का अनुसरण किया गया है।

VI सभी उपायुक्त जिलांतर्गत कार्यरत सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि राज्य बजट के अनुसार किन योजनाओं के लिए कितनी–कितनी राशि उपलब्ध है। जिन योजनाओं को नरेगा के तहत लिया जा सकता है उन योजनाओं का कार्यान्वयन नरेगा अन्तर्गत ही की जाए तथा बचत की राशि से विभाग की वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाय, जो कि नरेगा के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है।

VII उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन इस वित्तीय वर्ष में प्रावधानित बजट की राशि के व्यय में यथासंभव की जाए। परंतु, अगले वित्तीय वर्ष के बजट तैयार करने से लेकर उसके व्यय में निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव। 28.11.05

D:\office\rajib\SK SATAPATHY\File No.-1-153(NREGA)-08.doc

(64)

ज्ञापांक– 4–157(NREGA)/08/ग्रा0वि0– 8295 राँची/ दिनांक– 23.11

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.8

मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 4–157(NREGA)/08/ग्रा0वि0– 8295 राँची/ दिनांक– 23.11.09

प्रतिलिपि– सभी उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.9

मुख्य सचिव।

झारखंड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक 6757 दिनांक 29.12.09

प्रतिलिपि – कृषि निदेशक / निदेशक, भूमि संरक्षण / निदेशक, उद्यान / निदेशक, 'समेति' / निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराया जाए।

अनुलग्नक :- विहित प्रपत्र।

सरकार के अवर सचिव।

D:\office\...\SK SATAPATHY\File No.-4-157(NREGA)-08.doc

विभिन्न विभागों/ कार्य एजेंसियों द्वारा NREGS के तहत ली जाने वाली योजनाओं का प्राक्कलन विवरण।

क्र0सं0	प्रक्षेत्र	योजना/ परियोजना का नाम	गांव	पंचायत	प्रखण्ड	NREGA अन्तर्गत पूर्णतः अनुमान्य योजनाओं का प्राक्कलन			
						श्रम मद पर व्यय	कुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रम व्यय सहित सामग्री मद में व्यय	कुल प्राक्कलित राशि (6+7)	सृजित होने वाला मानव दिवस
1	2	3		4	5	6	7	8	9